



बिहार विधान परिषद्

कार्य सूची

संख्या-9

212वां सत्र

शुक्रवार, दिनांक 13 फरवरी, 2026

11.00 बजे पूर्वाह्न

प्रश्नोत्तर

1. अल्पसूचित प्रश्न
2. तारांकित प्रश्न

औपचारिक कार्य

3. सचिव, विधेयक संबंधी संदेश, यदि कोई हो, पढ़ेंगे।
4. सचिव, विधान सभा से स्वीकृत विधेयक, यदि कोई हो, मेज पर रखेंगे।

परिनियत कार्य

5. प्रभारी मंत्री, बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) द्वारा अधिसूचित विनियमनों के संकलन (Compendium Vol-1 & Vol-II) की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।
6. प्रभारी मंत्री, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।


ध्यानाकर्षण

7. डॉ० मदन मोहन झा, दरभंगा जिला स्थित +2 राजकीयकृत श्री कुशेश्वरस्थान उच्च विद्यालय के खेल मैदान में प्रस्तावित निर्माण कार्य स्थगित करते हुए उसका निर्माण खाली सरकारी भूमि पर करवाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। (शिक्षा)
8. श्री वंशीधर ब्रजवासी, स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को प्रोन्नति की कार्रवाई पूरी करने एवं पूरे राज्य में एकरूपता स्थापित करने हेतु SOP जारी करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। (शिक्षा)
9. प्रो० (डॉ०) वीरेन्द्र नारायण यादव, बेतिया जिलान्तर्गत योगापट्टी प्रखंडाधीन ODL प्रशिक्षित 41 शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। (शिक्षा)
10. श्री नवल किशोर यादव, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, किशनगंज के हॉस्टल प्रबंधन में हो रही अनियमितता में संलिप्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को निलंबित करते हुए एफ०आई०आर० दर्ज करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। (विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा)
11. डॉ० संजीव कुमार सिंह, राज्य में डिग्री महाविद्यालयों के शिक्षकों की भांति संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों की भी परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् उनकी सेवा नियमितीकरण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। (शिक्षा)

वित्तीय कार्य

वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद

12. वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर
(जल संसाधन, संसदीय कार्य, भवन निर्माण, सिविल विमानन्, सूचना एवं जन-सम्पर्क)
13. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य, यदि कोई हो।



12/21/26

(अखिलेश कुमार झा)
सचिव
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक-वि.प.वि.-05/2026 – 173 (3) / वि.प.।

दिनांक – 12.02.2026

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार / माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय, बिहार / माननीय मंत्रीगण / माननीय मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय / मुख्यमंत्री सचिवालय (चार प्रतियों में) / माननीय राज्यपाल, बिहार के सचिव / माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आवासीय कार्यालय एवं बिहार विधान सभा स्थित कार्यालय वेश्म / प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना / लोकायुक्त, बिहार / महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय / बिहार सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष / सभी राज्यों के विधान मंडलों के सचिव / लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली / पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली / बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना / निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार / अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना / समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना / उप सचिव, नेवा सेल / जन-सम्पर्क पदाधिकारी एवं प्रभारी, नेवा सेल, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(ज्ञान प्रकाश)

निदेशक

बिहार विधान परिषद्



فہرست امور

۲۱۲واں اجلاس

بہار قانون ساز کاؤنسل

شمارہ-۹

جمعہ، مورخہ ۱۳ فروری، ۲۰۲۶

الہٰجے دن

سوال و جواب

۱. مختصر میعاد سوال

۲. علامتی سوال

رسمی امور

۳. سکریٹری، بل سے متعلق پیغام، اگر کوئی ہو، پڑھیں گے۔

۴. سکریٹری، قانون ساز اسمبلی سے منظور بل، اگر کوئی ہو، میز پر رکھیں گے۔

ضابطے کے تحت کارروائی

۵. انچارج وزیر، بہار الیکٹریک ریگولیشن کارپوریشن (BERC) کے ذریعہ نوٹیفائیڈ ضابطوں کے مجموعہ (Compendium Vol.-1 & Vol.-2) کی ایک ایک کاپی ایوان کی میز پر رکھیں گے۔

۶. انچارج وزیر، بہار نارٹھ بہار پاور ڈسٹریبوشن کمپنی لمیٹیڈ، پنشن کے مالی سال ۲۲-۲۰۲۱ اور ۲۰۲۳-۲۰۲۲ کی سالانہ رپورٹ کی ایک ایک کاپی ایوان کی میز پر رکھیں گے۔

توجہ طلب اطلاع

۷. ڈاکٹر مدن موہن جھاء، درجہ ضلع واقع ۲+ سرکار سے منظور شدہ شری کوشیشور استھان ہائی اسکول کے کھیل میدان میں مجوزہ تعمیر کام ملتوی کرتے ہوئے اس کی تعمیر خالی سرکاری زمین پر کرانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔ (ایجوکیشن)

۸. جناب ہنسی دھر برجواسی، لوکل باڈیز کے ذریعہ مامور پرائمری، سکندری اور ہائر سکندری ٹیچروں کے پرموشن کی کارروائی پوری کرنے اور پوری ریاست میں یکسانیت قائم کرنے کے لیے SOP جاری کرنے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔ (ایجوکیشن)
۹. پروفیسر (ڈاکٹر) ویریندر نارائن یادو، بتیاضلع کے تحت یوگا پٹی بلاک کے تحت ODL ٹرینڈ ۴۱ ٹیچروں کی بقایہ تنخواہ کی ادائیگی کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔ (ایجوکیشن)
۱۰. جناب نول کشور یادو، سرکاری پولوٹیکنک کالج، کشن گنج کے ہوٹل انتظامیہ میں ہو رہی بے ضابطگی میں ملوث افسران و ملازمین کو معطل کرتے ہوئے ایف آئی آر درج کرنے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔ (سائنس، ٹکنالوجی و ٹیکنیکی ایجوکیشن)
۱۱. ڈاکٹر سنجیو کمار سنگھ، ریاست میں ڈگری کالجوں کے ٹیچروں کی طرح متعلقہ کالجوں کے ٹیچروں کی بھی مدت آزمائش ختم ہونے کے بعد ان کی تعلیم ریگولر کرنے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔ (ایجوکیشن)

مالی امور

مالی سال ۲۰۲۶-۲۷ کے بجٹ پر محکمہ وار عام بحث

۱۲. مالی سال ۲۰۲۶-۲۷ کے بجٹ پر محکمہ وار عام بحث اور حکومت کا جواب
(محکمہ آبی وسائل، پارلیمانی امور، بلڈنگ کنسٹرکشن، شہری ہوا بازی، اطلاعات و تعلقات عامہ)
۱۳. دیگر انتہائی ضروری امر، اگر کوئی ہو۔

12/2/26
(اھلیش کمار جھا)

سکرٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل

fu

12.02.2026

مکتوب نمبر- (3) 173-05/2026

ترجمہ کردہ : اردو شعبہ بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ

12/2/26

(نسرین بانو)

سیکشن افسر

اردو شعبہ بہار قانون ساز کاؤنسل



बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

ध्यानाकर्षण

212वां सत्र

दरभंगा जिला के कुशेश्वरस्थान में स्थित +2 राजकीयकृत श्री कुशेश्वरस्थान उच्च विद्यालय के खेल मैदान पर विवाह भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। भवन निर्माण के विरोध में एवं विद्यालय मैदान का संरक्षण और विवाह भवन का स्थल परिवर्तन की मांग को लेकर स्थानीय नागरिक छात्रों और सामाजिक संगठनों में जन आक्रोश तेज हो गया है। स्थानीय नागरिक छात्रों और सामाजिक संगठनों के द्वारा कई बार आवेदन देने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई जिससे लोग सत्याग्रह के लिए विवश हो गए हैं।

उक्त विद्यालय का खेल मैदान पूरे क्षेत्र का एकमात्र ऐसा सार्वजनिक स्थल है, जहाँ छात्रों के खेल-कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक आयोजन और आपात स्थिति में हेलीपैड के रूप में उपयोग होता रहा है। यदि यहाँ विवाह भवन का निर्माण हुआ तो मैदान पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, जिसका सीधा असर छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ेगा। विवाह भवन का निर्माण विद्यालय मैदान के बजाय सामने पूर्व दिशा में स्थित खाली सरकारी भूमि पर कराया जाए।

अतः प्रस्तावित विवाह भवन निर्माण का कार्य +2 राजकीयकृत श्री कुशेश्वरस्थान उच्च विद्यालय के खेल मैदान को यथाशीघ्र स्थगित करते हुए उसका निर्माण स्थल विद्यालय मैदान के बजाय सामने पूर्व दिशा में स्थित खाली सरकारी भूमि पर करवाने हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/-

डॉ० मदन मोहन झा

स०वि०प०

ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.- 66/2026-281(1)वि०प०।

दिनांक:-09.02.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-13.02.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

09.02.2026
(मनोज कुमार)

उप सचिव

बिहार विधान परिषद्



بہار قانون ساز کاؤنسل

توجہ طلب اطلاع

عزت مآب چیرمین،

درجہ ذیل ضلع کے کیشوراستھان میں واقع 2+ سرکاری کردہ شری کیشوراستھان ہائی اسکول کے کھیل میدان پر میرج ہال کی تعمیر کا کام کیا جا رہا ہے۔ تعمیر عمارت کے خلاف اور اسکول میدان کی حفاظت اور میرج ہال کی جگہ تبدیل کرنے کا مطالبہ کو لے کر مقامی عوام، طلباء اور سماجی تنظیموں میں عوامی غصہ تیز ہو گیا ہے۔ مقامی شہری، طلباء اور سماجی تنظیموں کے ذریعہ کئی مرتبہ درخواست دینے کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے کوئی ٹھوس کارروائی نہیں ہوئی جس سے لوگ ستیاگرہ کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔

مذکورہ اسکول کا کھیل میدان پورے علاقہ کی اکیلی ایسی عوامی جگہ ہے، جہاں طلباء کے کھیل کود، ثقافتی پروگرام، سماجی اجتماعات اور ہنگامی حالت میں ہیلی پیڈ کی شکل میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ اگر یہاں میرج ہال کی تعمیر ہوئی تو میدان پوری طرح ختم ہو جائے گا، جس کا سیدھا اثر طلباء کی جسمانی و ذہنی ترقی پر پڑے گا۔ میرج ہال کی تعمیر اسکول میدان کی بجائے سامنے مشرق سمت واقع خالی سرکاری زمین پر کرایا جائے۔ لہذا، مجوزہ میرج ہال تعمیر کا کام 2+ سرکاری کردہ شری کیشوراستھان ہائی اسکول کے کھیل میدان کو فوری طور پر ملتوی کرتے ہوئے اس کی تعمیری جگہ اسکول میدان کے بجائے سامنے مشرق سمت میں واقع خالی سرکاری زمین پر کروانے کے لئے حکومت سے ایوان میں واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط

ڈاکٹر مدن موہن جھا
رکن، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 09.02.2026

مکتوب نمبر: 66/2026-281(1)

معزز رکن، مورخہ 13.02.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

09.02.2026
(منوج کمار)

ڈپٹی سکرٹری
بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ



बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

212वां सत्र

राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों के स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली) 2012 एवं माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए बिहार जिला परिषद/ नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 अधिसूचित की गई थी, जिसे नियमावली 2020 द्वारा संशोधित किया जा चुका है।

उपरोक्त नियमावलियों में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के तहत स्नातक योग्यताधारी बेसिक ग्रेड शिक्षकों को 08 वर्षों की सेवा पूर्णता के आधार पर स्नातक ग्रेड में और स्नातक ग्रेड में 05 वर्षों की सेवा के आधार पर प्रधानाध्यापक ग्रेड में तथा माध्यमिक शिक्षकों को उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पद पर एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दी जानी थी।

विभाग द्वारा प्रोन्नति नहीं दिए जाने के कारण शिक्षकों द्वारा दायर की गई याचिकाओं के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने भी इन्हें प्रोन्नति देने हेतु कई बार आदेश दिया, लेकिन उसकी लगातार अवमानना की जा रही है।

अतः उपरोक्त वर्णित शिक्षकों को राज्य सरकार द्वारा पूर्व से प्रदत्त प्रोन्नति की कार्रवाई पूरी करने एवं पूरे राज्य में एकरूपता स्थापित करने हेतु SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/-

वंशीधर ब्रजवासी

स०वि०प०


ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.- 36/2026-284(1)वि०प०।

दिनांक:-09.02.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-13.02.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।


09.02.2026
(मनोज कुमार)

उप सचिव

बिहार विधान परिषद्



توجہ طلب اطلاع

بہار قانون ساز کاؤنسل

عزت مآب چیرمین،

ریاستی حکومت کے ذریعہ پرائمری اسکولوں کے لوکل باڈیز کے اساتذہ کے لئے بہار پنچایت پرائمری ٹیچر (بجالی و شرط ملازمت ضابطہ نامہ) ۲۰۱۲ اور ثانوی رہائش ٹانوی اساتذہ کے لئے بہار ضلع پریشدر میونسپل باڈی ثانوی اور ہائر ثانوی اساتذہ (بجالی و شرط ملازمت ضابطہ نامہ) ۲۰۱۲ کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا جس میں ضابطہ نامہ ۲۰۲۰ کے ذریعہ ترمیم کی جا چکی ہے۔

مذکورہ ضابطہ ناموں میں ریاستی حکومت کے ذریعہ عطا کردہ سہولیات کے تحت گریجویٹیشن اہلیت رکھنے والے بیسک گریڈ اساتذہ کو آٹھ برسوں کی ملازمت پوری کرنے کی بنیاد پر گریجویٹیشن گریڈ میں اور گریجویٹیشن گریڈ میں پانچ برسوں کی ملازمت کی بنیاد پر ہیڈ ماسٹر گریڈ میں اور ثانوی اساتذہ کو ہائر ثانوی اساتذہ کے عہدے پر اور ہائر ثانوی اساتذہ کو ہیڈ ماسٹر کے عہدے پر ترقی دی جانی تھی۔

محکمہ کے ذریعہ ترقی نہیں دیے جانے کے سبب اساتذہ کے ذریعہ کئے گئے رٹ کے تناظر میں آئینہ ہائی کورٹ، پٹنہ نے بھی انہیں ترقی دینے کے لئے کئی بار حکم دیا لیکن اس کی مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ریاستی حکومت کے ذریعہ ان اساتذہ کو دی گئی ترقی کی سہولت محکمہ جاتی افسران کی من مانی اور تانا شاہی کے سبب مذاق بن کر رہ گئی ہے۔

لہذا، مذکورہ بالا اساتذہ کو ریاستی حکومت کے ذریعہ پہلے عطا کردہ ترقی کی کارروائی پوری کرنے اور پوری ریاست میں یکسانیت قائم کرنے کے لیے SOP (اسٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجر) جاری کرنے کے سلسلے میں حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط

ونشی دھر برجوا سی

رکن، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 09.02.2026

مکتوب نمبر: 36/2026-284(1)



(منوج کمار)

ڈپٹی سکریٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ

معزز رکن، مورخہ 13.02.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

09.02.2026



बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

212वां सत्र

बेतिया जिला अंतर्गत योगापट्टी प्रखंडाधीन ODL (2013-15 B) प्रशिक्षित कुल 41 शिक्षकों के प्रशिक्षित बकाया वेतन भुगतान हेतु धनात्मक विपत्र, जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण (बेतिया) के पत्रांक-326 दिनांक-18.03.2025 के आलोक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, योगापट्टी द्वारा पत्रांक-145 दिनांक-21.03.2025 को जिला शिक्षा कार्यालय को अग्रेतर कार्यार्थ समर्पित किया गया। इसके बावजूद अभी तक जिला कार्यालय द्वारा इन शिक्षकों का भुगतान नहीं हो सका। जबकि SSA से भुगतान पाने वाले ODL प्रशिक्षित शिक्षकों का भुगतान 2023 मार्च में ही हो गया और GOB से पाने वाले ODL प्रशिक्षित शिक्षकों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है।

अतः इन शिक्षकों के भुगतान हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की माँग करता हूँ।

ह०/-

प्र०(डॉ०) वीरेन्द्र नारायण यादव
स०वि०प०


ज्ञापनांक:-वि.प.अ.प्र.- 56/2026-283(1)वि०प०।

दिनांक:-09.02.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-13.02.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।


09.02.2026
(मनोज कुमार)

उप सचिव
बिहार विधान परिषद्



توجہ طلب اطلاع

بہار قانون ساز کاؤنسل

عزت مآب چیرمین،

بیتیا ضلع کے تحت یوگا پٹی بلاک کے تحت (2013-15 B) ODL تربیت یافتہ کل 41 اساتذہ کی تربیت یافتہ بقایا تنخواہ کی ادائیگی کے لئے مثبت بل، ڈی۔ای۔او، مغربی چپارن (بیتیا) کے مکتوب نمبر ۳۲۶، مورخہ ۱۸ مارچ ۲۰۲۵ کے تناظر میں بی۔ای۔او، یوگا پٹی کے ذریعہ مکتوب نمبر ۱۳۵، مورخہ ۲۱ مارچ ۲۰۲۵ کو ڈی۔ای۔او کو آگے کی کارروائی کے لئے پیش کیا گیا۔ اس کے باوجود ابھی تک ضلع آفس کے ذریعہ ان اساتذہ کی ادائیگی نہیں ہو سکی جب کہ ایس۔ایس۔اے۔ سے ادائیگی پانے والے ODL تربیت یافتہ اساتذہ کی ادائیگی ۲۰۲۳ مارچ میں ہی ہو گئی اور GOB سے پانے والے ODL تربیت یافتہ اساتذہ کی ادائیگی ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ لہذا، ان اساتذہ کی ادائیگی کے لئے حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط

پروفیسر (ڈاکٹر) ویریندر نارائن یادو
رکن، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 09.02.2026

مکتوب نمبر: 56/2026-283(1)

معزز رکن، مورخہ 13.02.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔
09.02.2026 (منوج کمار)

ڈپٹی سیکریٹری
بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ



बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

212वां सत्र

राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, किशनगंज के हॉस्टल प्रबंधन के हॉस्टल इन्चार्ज एवं सहायक हॉस्टल इन्चार्ज के कार्यकाल में फरवरी 2024 से मई 2025 तक वित्तीय विवरणी के अनुसार हॉस्टल शुल्क रू० 4500/- प्रति छात्र हर सेमेस्टर, caution राशि (एक बार) रू० 1500/- प्रति छात्र है। हॉस्टल की कुल क्षमता 400 छात्र-छात्राओं की है, जिसमें 300 छात्र एवं 100 छात्राएं हैं। जिसके अनुसार हॉस्टल शुल्क कुल रू० 4500 x 3 = रू० 13500 रूपये प्रति छात्र होता है।

रिकॉर्ड के अनुसार हॉस्टल खाते में केवल 37,70,000/- रूपया राशि जमा की गई थी। स्थानीय शिकायत के बाद 9,32,550 रूपया हॉस्टल इन्चार्ज के द्वारा पुनः जमा किया गया। कुल जमा राशि 47,02,550 रूपया, जबकि अधिकारिक क्षमता 400 छात्रों के हिसाब से 60,00,000 होनी चाहिए। हॉस्टल इन्चार्ज के द्वारा 12,97,450 रूपये का गबन कर लिया गया है।

अतः उक्त मामले में 12,97,450 रूपये गबन करने वाले इन्चार्ज से राशि को रिकवर कर संलिप्त कर्मचारियों/पदाधिकारियों को निलंबित करते हुए थाने में एफ०आई०आर० दर्ज करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/-

नवल किशोर यादव

स०वि०प०


ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.- 58/2026-282(1)वि०प०।

दिनांक:-09.02.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-13.02.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।



(मनोज कुमार)

उप सचिव

बिहार विधान परिषद्



بہار قانون ساز کاؤنسل

توجہ طلب اطلاع

عزت مآب چیرمین،

گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالج، کھنٹیج کے ہاسٹل منجمنٹ کے ہاسٹل انچارج اور معاون ہاسٹل انچارج کی مدت کار میں فروری ۲۰۲۳ سے مئی ۲۰۲۵ تک مالیاتی تفصیلات کے مطابق ہاسٹل فیس -/4500 روپے فی طالب علم ہر سیمسٹر caution رقم (ایک بار) -/1500 روپے فی طلبا ہے۔ ہاسٹل کی کل گنجائش ۴۰۰ طلبا و طالبات کی ہے، جس میں ۳۰۰ طلبا اور ۱۰۰ طالبات ہیں۔ جس کے مطابق ہاسٹل فیس کل $4500 \times 3 = 13500$ روپے فی طالب علم ہوتا ہے۔

رکارڈ کے مطابق ہاسٹل کھاتے میں صرف -/37,70,000 روپیہ کی رقم جمع کی گئی تھی۔ مقامی شکایت کے بعد -/9,32,550 روپے ہاسٹل انچارج کے ذریعہ پھر جمع کیے گئے۔ کل جمع رقم -/47,02,550 روپے، جب کہ آفیشیل صلاحیت ۴۰۰ طلبا کے حساب سے -/60,00,000 ہونی چاہیے۔ ہاسٹل انچارج کے ذریعہ -/12,97,450 روپے کا ضمن کر لیا گیا ہے۔ لہذا، اس معاملے میں -/12,97,450 روپے ضمن کرنے والے انچارج سے رقم کوریور کر کے ملوث ملازمین رافران کو معطل کرتے ہوئے تھانہ میں ایف۔ آئی۔ آر۔ درج کرنے کے لئے حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط

نول کشور یادو

رکن، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 09.02.2026

مکتوب نمبر: 58/2026-282(1)

معزز رکن، مورخہ 13.02.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

09.02.2026

(منوج کمار)

ڈپٹی سیکریٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ



बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

212वां सत्र

राज्य में डिग्री महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान किये जाने की एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें संबंधित विश्वविद्यालय के सीनेट सभा से संबद्धता का प्रस्ताव अंतिम रूप से अनुमोदित होकर राज्य सरकार को भेजा जाता है, तदनु रूप राज्य सरकार द्वारा वैसे महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान किये जाने का विहित प्रावधान है।

पुनः संबद्धता प्राप्त विषयों में नामांकित छात्र-छात्राओं की उत्तीर्णता के आधार पर ही परीक्षाफल आधारित वेतनानुदान की राशि स्वीकृत एवं विमुक्त की जाती है, लेकिन बिहार राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2015 के प्रावधानानुसार निर्धारित तिथि 19.04.2007 के पश्चात इन्हीं महाविद्यालयों में विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों द्वारा अध्यापन-कार्य किए जाने के बावजूद भी उनकी सेवा नियमितीकरण का कार्य संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा नहीं किए जाने के कारण उन्हें परीक्षाफल आधारित वेतनानुदान से वंचित रह जाना पड़ता है। अलबत्ता ऐसे महाविद्यालयों में पद सृजन का अधिकार भी वर्ष 2019 में ही राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को दे दिया गया है।

अतः उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों की भांति ही संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों की भी परीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात उनके सेवा नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ किये जाने का सक्षम निदेश विश्वविद्यालयों को अविलंब निर्गत किये जाने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ, जिससे कि परीक्षाफल आधारित अनुदान का लाभ सभी शिक्षकों को मिल सके।

ह०/-

डॉ० संजीव कुमार सिंह
स०वि०प०


ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.- 68/2026-285(1)वि०प०।

दिनांक:-09.02.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ उच्च शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-13.02.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।


09.02.2026
(मनोज कुमार)

उप सचिव

बिहार विधान परिषद्



توجہ طلب اطلاع

بہار قانون ساز کاؤنسل

عزت مآب چیئرمین،

ریاست میں ڈگری کالجوں کو الحاق عطا کیے جانے کا ایک مسلسل عمل ہے جس میں متعلقہ کالج کے سینٹ اجلاس سے الحاق کی تجویز کی آخری طور سے تائید کر ریاستی حکومت کو بھیجی جاتی ہے، جس کے مطابق ریاستی حکومت کے ذریعہ ویسے کالجوں کو الحاق عطا کیے جانے کا مجوزہ نظم ہے۔

پھر الحاق حاصل شدہ مضامین میں داخل طلباء و طالبات کی کامیابی کی بنیاد پر ہی امتحان کے رزلٹ کی بنیاد پر تنخواہ گرانٹ کی رقم منظور اور جاری کی جاتی ہے لیکن بہار ریاستی یونیورسٹی ترمیم بل، ۲۰۱۵ کے نظم کے مطابق متعین تاریخ 19.04.2007 کے بعد انہیں کالجوں میں باضابطہ تقرر اور برسر کار اساتذہ کے ذریعہ تعلیمی کام کیے جانے کے باوجود بھی ان کی ملازمت کو ریگولر کرنے کا عمل متعلقہ یونیورسٹیوں کے ذریعہ نہیں کیے جانے کے سبب انہیں امتحان کے نتیجے کی بنیاد پر تنخواہ گرانٹ سے محروم رہ جاتا پڑتا ہے۔ البتہ ایسے کالجوں میں عہدے کی تشکیل کا اختیار بھی سال 2019 میں ہی ریاستی حکومت کے ذریعہ یونیورسٹیوں کو دیا گیا ہے۔

لہذا، مذکورہ حقائق کے تناظر میں کنسیٹیوٹ کالجوں کے اساتذہ کی مانند ہی متعلقہ کالجوں کے اساتذہ کی بھی آزمائشی مدت (پروٹیشن پریڈ) ختم ہونے کے بعد ان کی ملازمت کو ریگولر کرنے کا عمل شروع کیے جانے کی واجب ہدایت یونیورسٹیوں کو بلا تاخیر جاری کیے جانے کے لئے حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں جس سے امتحان کے نتیجے کی بنیاد پر گرانٹ کا فائدہ سبھی اساتذہ کو مل سکے۔

دستخط

ڈاکٹر سنجیو کمار سنگھ

رکن، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 09.02.2026

مکتوب نمبر: 68/2026-285(1)

معزز رکن، مورخہ 13.02.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

09.02.2026
(منوج کمار)

ڈپٹی سکرٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ



बिहार विधान परिषद्

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची


निम्नलिखित अल्पसूचित प्रश्न आगामी सोमवार, तिथि 27 माघ, 1947(श.) को बिहार विधान परिषद् के कार्यक्रम पर अंकित रहेंगे।

16 फरवरी, 2026 ई.

क्रम संख्या	प्रश्नों की नेवा संख्या	प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4	5
131.	1/212/19	डा० संजीव कुमार सिंह स.वि.प.	पशुओं के लिए ऑपरेशन थिएटर	डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन
132.	1/212/54	डॉ० अजय कुमार सिंह स.वि.प.	सड़क का निर्माण	ग्रामीण कार्य
133.	1/212/57	श्री कुमार नागेन्द्र स.वि.प.	प्रखंड कार्यालय भवन का निर्माण	ग्रामीण विकास
134.	1/212/106	श्री सौरभ कुमार स.वि.प.	लंबित आवासों का निर्माण	तदैव
135.	1/212/125	श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी स.वि.प.	कृषि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चालू करना	कृषि

136.	1/212/166	श्री अशोक कुमार स.वि.प.	नाला का निर्माण	ग्रामीण कार्य
137.	1/212/286	श्री नीरज कुमार स.वि.प.	एक्सप्रेसवे का निर्माण	पथ निर्माण
138.	1/212/556	श्री तरूण कुमार स.वि.प.	सड़क का निर्माण	तदैव
139.	1/212/577	श्रीमती शशि यादव स.वि.प.	सड़क का चौड़ीकरण	तदैव
140.	1/212/605	श्रीमती रेखा कुमारी स.वि.प.	पुल-पुलिया एवं सड़क का निर्माण	ग्रामीण कार्य
141.	1/212/657	श्री सच्चिदानन्द राय स.वि.प.	सड़क की मरम्मती	तदैव
142.	1/212/679	श्री लाल मोहन गुप्ता स.वि.प.	सड़क का चौड़ीकरण	पथ निर्माण
143.	1/212/843	श्री अफाक अहमद खां स.वि.प.	सम्पर्क पथ का निर्माण	ग्रामीण कार्य
144.	1/212/920	डा० उर्मिला ठाकुर स.वि.प.	गौशाला का संचालन	डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन
145.	1/212/995	प्रो० संजय कुमार सिंह स.वि.प.	वित्तीय अनियमितता की जांच	पंचायती राज
146.	1/212/1038	श्री घनश्याम ठाकुर स.वि.प.	संयुक्त कृषि भवन की मरम्मती एवं पुनर्निर्माण	कृषि
147.	1/212/1065	श्रीमती अनामिका सिंह स.वि.प.	सड़क का चौड़ीकरण	ग्रामीण कार्य
148.	1/212/1111	श्री भीसम साहनी स.वि.प.	राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मती	पथ निर्माण

149.	1/212/1114	श्री मो० सोहैब स.वि.प.	अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण	पंचायती राज
150.	1/212/1139	श्री सर्वेश कुमार स.वि.प.	पुल का निर्माण	ग्रामीण कार्य
151.	1/212/1190	श्री कार्तिक कुमार स.वि.प.	राशि उपलब्ध कबतक	पंचायती राज


 12/2/26.
 (अखिलेश कुमार झा)
 सचिव
 बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक:-वि.प.प्र.- 22/2025/ 82(3)

वि.प.,दिनांक- 12.2.2026

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री,बिहार / माननीय उपमुख्यमंत्री द्वय, बिहार / माननीय मंत्रीगण / राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना / लोकायुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना / महाधिवक्ता, बिहार, पटना तथा सचिवालय के सभी विभागों एवं विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 12.2.2026
 (शंकर कुमार)
 निदेशक
 बिहार विधान परिषद्
 १६



बिहार विधान परिषद्

तारांकित प्रश्नों की सूची

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न आगामी सोमवार, तिथि 27 माघ, 1947(श.) को बिहार विधान परिषद् के कार्यक्रम पर अंकित रहेंगे। 16 फरवरी, 2026 ई.

क्रम संख्या	प्रश्नों की नेवा संख्या	प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4	5
192.	1/212/23	श्री कुमार नागेन्द्र स.वि.प.	अंडरपास का निर्माण	पथ निर्माण
193.	1/212/35	श्री सौरभ कुमार स.वि.प.	मासिक भत्ता का भुगतान	पंचायती राज
194.	1/212/40	डॉ० अजय कुमार सिंह स.वि.प.	थलहा नदी पर पुल निर्माण	ग्रामीण कार्य
195.	1/212/48	श्रीमती शशि यादव स.वि.प.	सड़क का उन्नयीकरण	पथ निर्माण
196.	1/212/58	श्री महेश्वर सिंह स.वि.प.	मानव क्षति पर रोक	तदैव

197.	1/212/109	श्री अशोक कुमार स.वि.प.	संपर्क पथ का निर्माण	ग्रामीण कार्य
198.	1/212/143	श्री नीरज कुमार स.वि.प.	डाक बंगला का निर्माण	पंचायती राज
199.	1/212/219	श्री सर्वेश कुमार स.वि.प.	फ्रीमेल सिमेन की उपलब्धता	डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन
200.	1/212/261	डा० मदन मोहन झा स.वि.प.	अटल पथ पर रोटरी का निर्माण	पथ निर्माण
201.	1/212/359	श्री घनश्याम ठाकुर स.वि.प.	सड़क एवं नाला निर्माण	ग्रामीण कार्य
202.	1/212/382	डा० उर्मिला ठाकुर स.वि.प.	बाईपास सड़क का निर्माण	पथ निर्माण
203.	1/212/447	श्री अफाक अहमद खां स.वि.प.	पक्की सड़क का निर्माण	ग्रामीण कार्य
204.	1/212/468	श्री अशोक कुमार पान्डेय स.वि.प.	जर्जर सड़क का निर्माण	पथ निर्माण
205.	1/212/547	डा० समीर कुमार सिंह स.वि.प.	नियुक्तियों में अनियमितता की जांच	कृषि

206.	1/212/558	डा० संजीव कुमार सिंह स.वि.प.	सड़क का निर्माण	ग्रामीण कार्य
207.	1/212/588	श्री दिलीप कुमार सिंह स.वि.प.	तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति कबतक	तदैव
208.	1/212/612	श्रीमती रेखा कुमारी स.वि.प.	सड़क का निर्माण	तदैव
209.	1/212/656	श्री सच्चिदानन्द राय स.वि.प.	सड़क का पक्कीकरण	तदैव
210.	1/212/666	श्री अशोक कुमार अग्रवाल स.वि.प.	मखाना प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना	कृषि
211.	1/212/731	श्री राजीव कुमार स.वि.प.	सड़क का निर्माण	पंचायती राज
212.	1/212/767	श्री सुनील कुमार सिंह स.वि.प.	अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत	तदैव
213.	1/212/816	श्री राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबु एवं श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह स.वि.प.	2026 का पंचायत चुनाव	तदैव
214.	1/212/837	प्रो०(डा०) वीरेन्द्र नारायण यादव स.वि.प.	पुल का निर्माण	पथ निर्माण
215.	1/212/909	श्री मो० सोहैब स.वि.प.	रास्ता का निर्माण	ग्रामीण कार्य
216.	1/212/966	श्री वंशीधर ब्रजवासी स.वि.प.	पुल का निर्माण	तदैव
217.	1/212/1049	श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी स.वि.प.	कृषि पदाधिकारी का कार्यालय	कृषि

218.

1/212/1089

डा० कुमुद वर्मा
स.वि.प.

सड़क की मरम्मती

ग्रामीण
कार्य

Ajhe

12/2/26
(अखिलेश कुमार झा)

सचिव

बिहार विधान परिषद्

ज्ञापंक:-वि.प.प्र.- 22/2025/ 83 (5)

वि.प.,दिनांक- 12.2.2026

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उपमुख्यमंत्री द्वय सहित अन्य मंत्रीगण / राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना / लोकायुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना / महाधिवक्ता, बिहार, पटना तथा सचिवालय के सभी विभागों एवं विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

शंकर कुमार
12.2.2026

(शंकर कुमार)

निदेशक

बिहार विधान परिषद्

शु